कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री कृष्णा कुमार यादव मैरिट नम्बर 3924 को पाली जिला आवंटित किया गया था। श्री कृष्णा कुमार यादव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 9985/2020 कृष्णा कुमार यादव बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.10.2020 के अनुसरण मे याचिकार्थी कृष्णा कुमार यादव द्वारा दिनांक 19.10.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनसे कम मैरिट वालो को गृह जिला दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा याचिकार्थी को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के उपनियम 24(iv) के तहत गृह जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री यादव द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार पाली जिला आवंटित किया गया था।

विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरवाए गए थे तब जयपुर जिले मे 94 स्थान/रिक्तियां थी। प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के निर्देशानुसार ही उक्त सीटो/रिक्तियों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया –

विशेष श्रेणी	रिक्तियो का आवंटन
विकलांग	42
विधवा	1
परित्यक्ता	1
एकल महिला	50
भूतपुर्व सैनिक	0
पति–पत्नी प्रकरण/कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा मे हो	0
असाध्य रोग	0
सामान्य महिला	0
योग	94

श्री कृष्णा कुमार यादव की मैरिट से ऊपर की मैरिट वाले अभ्यर्थियो/विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियो से जयपुर जिले की सीटे भर जाने के कारण श्री यादव द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो में से प्राथमिकता अनुसार पाली जिला आवंटित हुआ था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

राजस्थान अधिनस्थ सेवा अधिकारी मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 28(4) एवं इसके उप नियम मे अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए प्राथमिकता अनुसार व उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान मे रखकर ही यथा संभव पदस्थापन किये जाने के निर्देश है जो कि पूर्णतः बाध्यकारी नहीं है एवं किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन कि मांग अधिकार पूवर्क नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेक व विभाग की आवश्यकताओं के अधीन है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने एवं चाहे गए जिले मे रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण एतदनुसार द्वारा दिनांक 19.10.2020 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कृष्णा कुमार/9985/2020/10 दिनांक – 13/1/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी–2/जय./निर्णय/29862/जी/20 दिनांक 15.12.2020 के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा पाली को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन निस्तारण से अवगत करावे।
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर